# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–गोरखपुर

पत्रांक / मान्यता / 2451-52 / 2021–22 दिनांक:– 17-6-2021

**प्रबन्धक,**
**लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल,**
**गोला बाजार, गोरखपुर।**

---

कृपया अपने पत्र दिनांक दिनांक 16.06.2021 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्रांक / 2302 / 2013–14 दिनांक 29–06–2013 द्वारा लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार, गोरखपुर को प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की मान्यता अनन्तिम रूप से 03 वर्ष के लिए प्रदान की गई थी। शासनादेश सं0–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग–06 दिनांक 08 मई 2013 के बिन्दु सं0–15 में उल्लिखित है कि ***"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानो के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"***

नवीन शासनादेश संख्या–89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–196 / अड़सठ–3–2020–2041 / 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 के उपप्रस्तर–8 "जो विद्यालय / संस्था पूर्व से किराये के भवन में संचालित है तथा मान्यता विषयक अन्य समस्त मानको / प्रतिबन्धो को पूर्ण करते है, वे यथावत संचालित रहेंगे बशर्ते उनके द्वारा भवन स्वामी के साथ एतद्‌विषयक ऐग्रीमेन्ट प्रपत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया हो जिसमें किरायेदारी से संबंधित समस्त शर्ते / प्रतिबन्ध सुस्पष्ट रूप से विहित हो।" इस प्रकार से विद्यालय की मान्यता विधिमान्य है तथा स्थायी मान्यता विधिमान्य रहेगा परन्तु शर्त यह होगा कि प्रत्येक वर्ष विद्यालय संस्था में स्थापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायो के पर्याप्त अद्यावधिक एवं क्रियाशील होने और भवन के पठन–पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके कार्यालय में प्राप्त करायेंगे एवं 18. विद्यालय / संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस + से संबंधित सूचनायें / आंकड़े भरना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रतिबन्ध होगा कि मान्यता आदेश के बिन्दु संख्या–13 में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(बी0एन0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि**–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र–गोला, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Pragya Tripathi
**Principal**
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur
Wednesday, 16 June, 2021

भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार
**Manager**
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला– गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक / निरीक्षण / 2302 / 2013–14 तारीख 29/6/2013

प्रबन्धक,

**लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल**

**गोला बाजार, गोरखपुर**

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख **26.10.2012** के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै **लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार, गोरखपुर** को, तारीख. **01.07.2013.**से तारीख **30.06.2016** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं)** के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी वित्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए को.ई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को, प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को, किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

Principal
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur

भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार
Manager
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को, शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से को,ई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को, नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को, प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापको, की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को, किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको, और संनियमों को, बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **6806.06 वर्गमीटर**

कुल निर्मित क्षेत्र – **2806.26 वर्गमीटर**

क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – **2025 वर्गमीटर उपलब्ध है।**

कक्षाओं की संख्या – **19 उपलब्ध है।**

प्राध्यापक–सह– कार्यालय–सह– भंडागार के लिए कक्ष– **उपलब्ध है।**

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **8+7+4=19 उपलब्ध है।**

पेयजल सुविधा – **साधारण हण्ड पम्प, बोरिंग नल (आरो) उपलब्ध है**

मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई– **उपलब्ध**

वाधारहित पहुँच – **उपलब्ध है।**

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**

9. विद्यालय के कक्षाएं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से को,ई गैर– मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

Pragya Tripathi
**Principal**
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur

भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार
**Manager**
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा –स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **C/16/2013** है कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को, सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य **कोई विवरण/तथ्य असत्य** पाये जाते है अथवा कोई **तथ्यगोपन** पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षायें संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय
29/5/13
(मनिराम सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Pragya Tripathi
**Principal**
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur

आगीरथी प्रसाद स्वर्णकार
**Manager**
Laxmi Prasad Memorial Public School
Gola Bazar, Gorakhpur